राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.7 (57)परि/नियम/मु./2014/6689 जयपुर, दिनांकः– 31.03.2016

कार्यालय आदेश 9/2016

दिनांक 01.04.2016 से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 125–D प्रभावी हो गया है यह नियम दिनांक 08.06.2014 को अस्तित्व में आ गया था। इस नियम की अपेक्षा अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 2(RA) Category "T" के रूप में परिभाषित ऐसे वाहन जो कि ऐसे भार वाहनों से खीचे जाने के प्रयोग में लाये जाये जिनका GVW 3.5 टन से अधिक हो, को अब डिजाइन अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विन्द्रिष्ट टैस्टिंग ऐजेन्सीस से टाईप अप्रुवल प्राप्त करना होगा।

वर्तमान में articulated vehicle के प्रयोग में लाये जा रहे सेमी ट्रैलर एवं agricultural ट्रेक्टर के द्वारा खीचे जाने वाले ट्रैलर (ट्रौली) का डिजाइन का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुमोदन किया जा रहा था। निष्कर्ष स्वरूप निर्देश है कि agricultural ट्रेक्टर द्वारा खीचें जाने वाले ट्रैलर (ट्रौली) के डिजाइन के आधार पर विर्निमाण पूर्व की भांति जारी रहेगा परन्तु पूर्व के सेमी ट्रैलर आदि का डिजाइन का अनुमोदन राज्यों में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जा रहा था अब मान्य नहीं होगा। दिनांक 01.04.2016 से पूर्व विर्निमित सेमी ट्रैलर का articulated vehicle के साथ पंजीयन पूर्व की भांति जारी रहेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा जारी आदेश 7/दिनांक 23.03.2016 के अन्तर्गत पंजीयन की जाने वाली ट्रौलियों पर यह नियम 125–D लागू नहीं होगा।

अतः उपरोक्त प्रकार के सेमी ट्रैलर और ट्रैलर जिनका विर्निमाण 01.04.2016 अथवा उसके बाद किया गया हो को अन्य वाहनों की तरह टाईप अप्रुवल सर्टीफिकेट प्राप्त करने के आधार पर मुख्यालय द्वारा जारी पंजीयन के निर्देश के बिना नहीं किया जावे।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.7 (57)परि/नियम/मु./2014/6690 – 6695 जयपुर, दिनांकः– 31.3.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक/अति./जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल राज)
अपर परिवहन आयुक्त(नियम)